



सीएसआईआर-केंद्रीय विद्युतरसायन अनुसंधान संस्थान  
CSIR - CENTRAL ELECTROCHEMICAL RESEARCH INSTITUTE



(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद / Council of Scientific & Industrial Research)

कारैकुडी/Karaikudi – 630 003

सं./No.07-19(01)/2020-R&C

दि./Date:07.05.2026

**कार्यालय जापन / OFFICE MEMORANDUM**

विषय/Sub : स्थायी निपटान समिति के पुनर्गठन के सम्बंध में/Reconstitution of Standing Disposal

Committee -Reg

संदर्भ /Ref : सीईसीआरआई का.ज्ञा.सं./CECRI.OM No.07-19(01) /2020-R&C दि. dt.15.05.2023

\*\*\*\*\*

निदेशक, सीएसआईआर-सीईसीआरआई द्वारा स्थायी निपटान समिति का निम्नानुसार सहर्ष पुनर्गठन किया गया है।  
The Director, CSIR-CECRI has been pleased to reconstitute the Standing Disposal Committee as follows:

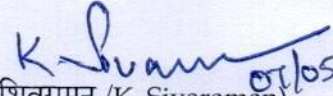
| क्र.सं. /<br>Sl.No. | नाम एवं पदनाम/ Name and Designation                                                                  | भूमिका/Capacity    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.                  | डॉ. पी. रघुपति, वैज्ञानिक – एफ /<br>Dr. P. Ragupathy, Scientist – F                                  | अध्यक्ष / Chairman |
| 2.                  | डॉ. के. गिरिबाबू, वैज्ञानिक – ई /<br>Dr. K. Giribabu, Scientist – E                                  | सदस्य / Member     |
| 3.                  | श्रीमती आर. मोनिका, वैज्ञानिक – डी /<br>Smt R. Monika, Scientist – D                                 | सदस्य / Member     |
| 4.                  | डॉ. सी. जयभारती, वैज्ञानिक – डी /<br>Dr. C. Jeyabharathi, Scientist – D                              | सदस्य / Member     |
| 5.                  | सी.टी. सुब्रमणियन, वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता /<br>Shri C.T. Subramanian, Senior Superintending Engineer | सदस्य / Member     |
| 6.                  | श्री टी. मुरुगानंदन, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) /<br>Shri T. Murugananadan, Sr. Technical Officer(1)  | सदस्य / Member     |
| 7.                  | श्री एस गोमातिनयागम, कार्यकारी अभियंता /<br>Shri S. Gomathinayagam, Executive Engineer               | सदस्य / Member     |
| 8.                  | प्र.अ./ AO                                                                                           | सदस्य / Member     |
| 9.                  | वि.व ले.नि. / COFA                                                                                   | सदस्य / Member     |
| 10.                 | व.भं. व. क्र. नि. /Sr.COSP                                                                           | सदस्य / Member     |
| 11.                 | अ.अ.(भं व क्र.) /SO(S&P)                                                                             | संयोजक / Convener  |

**स्थायी निपटान समिति (एसडीसी) के कार्य / Functions of Standing Disposal Committee (SDC):**

- यह उन सामग्रियों का निरीक्षण करेगा जिन्हें निपटाने का प्रस्ताव है और उन्हें अधिशेष, अप्रचलित और अनुपयोगी आदि के रूप में घोषित करेगा। अनुभागों/प्रभागों के प्रमुखों द्वारा प्रत्येक आइटम की निर्धारित जीवन अवधि, वस्तुओं की समग्र स्थिति, अप्रचलन के कारणों, भविष्य में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए। एसडीसी इस उद्देश्य के लिए एक तकनीकी उप-समिति नियुक्त कर सकता है। इन वस्तुओं को अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी आदि घोषित करने के कारणों को एसडीसी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए।

It will inspect the materials that are proposed to be disposed and declare them as Surplus, Obsolete, and Unserviceable etc. by the Heads of the Sections/Division taking into account the stipulated life period of each item, overall condition of the items, the reasons for obsolescence, requirement of such items in future etc. The SDC may appoint a technical sub-committee for the purpose. The reasons for declaring the items as surplus/obsolete/unserviceable etc. should be recorded by the SDC.

2. यह निपटान के तरीके का फैसला करेगा। It will decide the mode of disposal.
3. जहां भी यह उपलब्ध नहीं है, वस्तु के संभावित पुस्तक मूल्य और खरीद के वर्ष का पता लगाने के लिए। To ascertain the probable book value and year of purchase of the item wherever the same is not available.
4. निपटान के लिए आरक्षित मूल्य तय करेगा और यह भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा कि उठाए गए आइटम निपटान सूची के अनुसार हैं। (Rule 217(iii) of GFR 2017). Will fix the reserve price for disposal of items and also arrange to ensure that the lifted items are as per the disposal list. (Rule 217(iii) of GFR 2017).
5. प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करें, जहां भी आवश्यक हो, उच्चतम बोली लगाने वाले के साथ बातचीत करें और सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक की मंजूरी के लिए उच्चतम मूल्यांकन वाले बोली लगाने वाले के पक्ष में निपटान की सिफारिश करें। Evaluate the offers received, negotiate with the highest bidder, wherever required and recommend the disposal in favour of the highest evaluated bidder for the approval of the Director of the CSIR Lab./Instt. in CSIR Hqrs.

  
(के. शिवरामन /K. Sivaraman) 01/05/2026

अनुभाग अधिकारी (भ.एवं स.) /Section Officer (R&C)

सेवा में /To

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य/Chairman and Members of the committee

प्रतिलिपि/Copy to

1. निदेशक का कार्यालय O/o Director
2. प्र.अ. का कार्यालय O/o AO
3. वरिष्ठ भंडार एवं क्रय नियंत्रक /Sr.CoSP
4. वि. व ले. नि./CoFA
5. अ.अ./S.O.(स्था/बिल/वर्क/सा.)/(Estt/Bills/Works/General)
6. इंटरनेट / Intranet
7. कार्यालय प्रति /Office Copy